मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-3

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 8 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 17, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 18 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 69 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 93 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. स्थगन प्रस्ताव

दिनांक 5 जुलाई, 2009 को सिंगरौली जिले की आडियल एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में विस्फोट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री आरिफ अकील, महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, रामनिवास रावत, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सुखदेव पांसे, डॉ. विजय लक्ष्मी साधो, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, डॉ. कल्पना परूलेकर, सर्वश्री सुरेश चौधरी, तुलसीराम सिलावट, विजेन्द्र सिंह मालाहेड़ा, अश्विन जोशी, ओमकार सिंह मरकाम, गोविन्द सिंह राजपूत, रामलाल मालवीय, अरूणोदय चौबे, श्रीकांत दुबे, जेवियर मेड़ा, प्रदीप जायसवाल, डॉ. प्रभुराम चौधरी तथा श्री बाला बच्चन, सदस्यगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की 22 सूचनाओं में से चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना को अध्यक्ष महोदय द्वारा पढ़ा गया।

(श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति पर दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर सदन में चर्चा की मांग की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा उनसे सदन में बिना अनुमति न कहकर अध्यक्षीय कक्ष में आकर अपनी बात कहने हेतु अनुरोध किया गया)

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन, गृह और जेल मंत्री ने प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर शासन का वक्तव्य दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर हुई चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(2) श्री आरिफ अकील
(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(4) श्री रामनिवास रावत
(5) श्री राजवर्धन सिंह "दत्तीगांव"
(6) श्री सुखदेव पांसे

(5) डॉ. विजयलक्ष्मी साधो
(6) डॉ. कल्पना परूलेकर
(7) श्री सुरेश चौधरी
(8) श्री तुलसीराम सिलावट
(9) श्री बिजेन्द्र सिंह मालाहेड़ा
(10) श्री अश्विन जोशी
(11) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(12) श्री रामलाल मालवीय
(13) श्री अरूणोदय चौबे
(14) श्री श्रीकांत दुबे
(15) श्री जेवियर मेड़ा
(16) श्री प्रदीप जायसवाल
(17) श्री बालाराम बच्चन
(18) डॉ. गोविन्द सिंह
(19) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री
(20) श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष
(21) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल में मृतकों के पोस्टमार्टम हेतु एक अस्पताल होने से परेशानियां बढ़ने,

(2) श्री पारस सकलेचा "दादा", सदस्य की रतलाम नगर स्थित सज्जन मिल तालाब का गहरीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने,

(3) डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य की उज्जैन के महिदपुर ग्राम बोरखेड़ी में स्वीकृत पुलिया का निर्माण किये जाने,

(4) डॉ. गोविंद सिंह, सदस्य की चंबल अभ्यारण्य में घड़ियाल और कछुओं का अवैध शिकार करने,

(5) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर के ग्राम मोरावन में विद्युत तार टूटने से ग्रामों में विद्युत संकट होने,

(6) डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्य की भोपाल के 228 क्वाटर्स की सीवेज लाईन फूटी होने,

(7) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ के ग्राम ऊमरी में स्थित सूर्य मंदिर उपेक्षा का शिकार होने,

(8) श्री अरविंद सिंह भदौरिया, सदस्य की भोपाल नगर निगम सीमा के अनेक कालोनियों में खेल मैदान की सुविधा न होने,

(9) श्री ब्रजराज सिंह, सदस्य की श्योपुर जिले में लूट, हत्या एवं डकैती की घटनाएं होने तथा

(10) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद औद्योगिक प्रशिक्षण की वर्कशाप का निर्माण न होने संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी मानी गई।

(अपराह्न 12.55 से 2.31 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी सहित कांग्रेस पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव तथा नियम 139 के अधीन चर्चा की मांग की गई।)

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री खनिज साधन ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार, मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड की 46 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2007-2008 पटल पर रखी।

5. ध्यानाकर्षण

श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले की जीरापुर तहसील को डी.पी.ए.पी. में शामिल न किये जाने एवं श्री अरविंद सिंह भदौरिया, सदस्य की भिण्ड जिले के दस्यु प्रभावित ग्रामों को राजस्व रिकार्ड में शामिल न करने से विकास योजनाओं का लाभ न मिलने संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचनाएं उनकी अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत नहीं हुई।

(कांग्रेस पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कार्यवाही में व्यवधान करने पर, उपाध्यक्ष महोदय ने उनसे अनुरोध किया कि वे आसंदी के आज सुबह हुए निर्णयानुसार, लंबित महत्वपूर्ण सूचनाओं के संबंध में अध्यक्ष महोदय के कक्ष में चर्चा करें। नियम 139 के अधीन चर्चा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हुए निर्णयानुसार की जाती है।)

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 9 सन् 2009) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(कांग्रेस के सदस्यगण अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आए। व्यवधान एवं शोरगुल के कारण, कार्यवाही 2.37 बजे से 2.47 बजे तक 10 मिनट के लिए स्थगित की गई।)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह से लगातार नारेबाजी की गई)

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री वन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार-विनियमन) संशोधन विधेयक 2009 (क्रमांक 8 सन् 2009) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 5 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री वन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार-विनियमन) संशोधन विधेयक 2009 (क्रमांक 8 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा .... (क्रमशः)

प्रदेश में जल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा हेतु उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री राधेश्याम पाटीदार का नाम पुकारा गया, किन्तु सदन में अत्यधिक व्यवधान एवं शोरगुल के कारण 2.53 बजे से 3.03 बजे तक कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर, सदन में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा की मांग करते हुए कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण गर्भगृह में आये तथा नारेबाजी की गई। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा जल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा हेतु श्री श्रीकांत दुबे का नाम पुकारा, किन्तु व्यवधान के कारण माननीय सदस्य अपनी बात प्रारम्भ नहीं कर सके।)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

8. अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय ने कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में स्थगन प्रस्ताव एवं नियम 139 के तहत चर्चा की मांग पर व्यवस्था दी कि - "माननीय सदस्यगण कल 10 बजे उनके कक्ष में चर्चा करें। इस संबंध में गृह विभाग की बजट मांगों पर भी चर्चा की जा सकती है। आज निर्धारित कार्यवाही नहीं रोकी जायेगी। अतः कार्यवाही संचालन में सभी माननीय सदस्यगण सहयोग प्रदान करें।"

(कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण गर्भगृह से लगातार नारेबाजी करते रहे। आज की कार्यवाही के संपूर्ण समय के दौरान व्यवधान एवं शोरगुल के मध्य, नियम 139 के अधीन जल संकट संबंधी चर्चा की गई)

9. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा .... (क्रमशः)

प्रदेश में जल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दिनांक 7 जुलाई, 2009 से प्रारंभ चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(17) श्री अरविन्द सिंह भदौरिया
(18) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
(19) श्री रमेश दिलीप भटेरे
(20) श्रीमती नीता पटेरिया
(21) श्री रामकिशोर कांवरे
(22) श्री दिलीप जायसवाल
(23) श्री शंकरलाल तिवारी
(24) श्री ताराचंद बावरिया
(25) श्री अभय कुमार मिश्रा
(26) श्री गिरीश गौतम

(चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 4.58 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 9 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 18, 1931) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.